बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

संख्या–04 / ईको टूरिज्म–03 / 2026 (खण्ड–1) / प.व.ज.प., पटना–15, दिनांक–...../ 10 / 2026

विषय :– **भीम बाँध क्षेत्र में ईको टूरिज्म के समग्र विकास हेतु तैयार किये गये तीन क्लस्टरों में विकास के प्रस्तावों को जन–निजी भागीदारी (Public Private Partnership-PPP) के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।**

बिहार में ईको–टूरिज्म एवं प्रकृति आधारित पर्यटन परिसम्पत्तियों का विकास एवं संचालन सतत् एवं संरक्षण–केन्द्रित दृष्टिकोण के साथ किया जाना आवश्यक है, ताकि पर्यटन विकास को वनों, वन्यप्राणियों एवं जैव–विविधता के संरक्षण के साथ संतुलित किया जा सके। इसके साथ–साथ स्थानीय समुदायों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना, पर्यटकों के अनुभव को समृद्ध करना तथा सार्वजनिक एवं जन–निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से पेशेवर रूप से प्रबंधित ईको–टूरिज्म को सक्षम बनाना भी विकास प्रस्तावों के प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित है।

2. उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जन–निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से भीम बाँध क्षेत्र में ईको–टूरिज्म के समग्र विकास का कार्य निम्न तीन क्लस्टरों में किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है :–

i. क्लस्टर–1– भीमबाँध / बेलाटांड / चोरमारा / भट्ठा कोल
ii. क्लस्टर–2– कुकुड़झाप
iii. क्लस्टर–3– खड़गपुर झील / सींघवारिणी / भंवरा कोल

इन तीन क्लस्टरों में विकास के प्रस्तावों के RFP (Request for Proposal) एवं DCA (Draft Concession Agreement) पर जन–निजी भागीदारी (PPP) परियोजना हेतु गठित प्राधिकृत समिति की अनुशंसा दिनांक–06.10.2026 की बैठक में प्राप्त है।

3. इन तीन क्लस्टरों में विकास के प्रस्तावों के RFP (Request for Proposal) एवं DCA (Draft Concession Agreement) पर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (IDA) के निदेशक पर्षद की सहमति दिनांक–07.10.2026 की बैठक में प्राप्त है।

4. उद्योग विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–7213 दिनांक–26.12.2023 द्वारा बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी अधिनियम, 2006 की धारा–16 एवं 17 की शक्तियों को सरकार द्वारा आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को प्रत्यायोजित किया गया है एवं अतिथि–सत्कार प्रक्षेत्र (Hospitality Sector) को PPP परियोजनाओं हेतु अधिसूचित किया गया है।

उक्त प्रत्यायोजन के फलस्वरूप सरकारी अभिकरण अथवा स्थानीय निकाय से जन–निजी भागीदारी के अन्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त होने पर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा मूल्याकंन एवं अनुमोदन के पश्चात सरकार के समक्ष स्वीकृति हेतु उपस्थापित किया जाना है, तथा प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत RFP (Request for Proposal) एवं DCA (Draft Concession Agreement) पर स्वीकृति आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा इस हेतु गठित प्राधिकृत समिति की अनुशंसा के पश्चात दी जा सकेगी।

5. उक्त आलोक में इन तीनों प्रस्तावों के RFP (Request for Proposal) एवं DCA (Draft Concession Agreement) पर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा इस हेतु गठित प्राधिकृत समिति द्वारा अनुमोदन के उपरांत निविदा के माध्यम से सफल निविदादाता का चयन किया जायेगा तथा सफल निविदादाता को कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व मंत्रिपरिषद को अवगत कराया जायेगा।

6. उक्त आलोक में भीम बाँध क्षेत्र में ईको टूरिज्म के समग्र विकास हेतु तैयार किये गये तीन क्लस्टरों में विकास के प्रस्तावों को जन–निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

7. उपरोक्त पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–12.10.2026 में मद संख्या–20 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(श्याम चन्द्र मंडल)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–04/ईको टूरिज्म–03/2026 (खण्ड–1) /प.व.ज.प., पटना–15, दिनांक–...../10/2026

प्रतिलिपि :– (सानुलग्नक) प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(श्याम चन्द्र मंडल)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–04/ईको टूरिज्म–03/2026 (खण्ड–1) /प.व.ज.प., पटना–15, दिनांक–...../10/2026

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सभी मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सभी वन संरक्षक, बिहार/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(श्याम चन्द्र मंडल)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–04/ईको टूरिज्म–03/2026 (खण्ड–1) /प.व.ज.प., पटना–15, दिनांक–...../10/2026

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को दिनांक–12.10.2026 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–20 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत प्रस्ताव के अनुपालन के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(श्याम चन्द्र मंडल)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–04/ईको टूरिज्म–03/2026 (खण्ड–1) 6489 **/प.व.ज.प., पटना–15, दिनांक–**13**/10/2026**

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के कोषांग/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13.10.26

(श्याम चन्द्र मंडल)
सरकार के उप सचिव